10-12-25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। उनके द्वारा डाक स्टेटस पेश किये। बाद तामील कोई उपस्थित नहीं आया। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाती है। बहस पर वकील प्रार्थी को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भलीभांति अवलोकन किया गया। अवलोकन पर पाया गया कि प्र०क्र०1 से संबंधित में भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है इसलिये सहखातेदारान का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना वाजिब है।

ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढ़े एवं कानूनी पेचीदगीयां पैदा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाता है। तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.11.25 को तफैसला मूलवाद पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०